

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़वा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 91/2026

दायर दिनांक: 09.04.2026

उनवान

रामगोपाल माता नारानीबाई पि. देवीलाल जाति तेली नि. गादिया तहसील सुनेल हाल नि. भवानीमण्डी

- प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक : 13/05/2026



प्रार्थी रामगोपाल माता नारानीबाई पि. देवीलाल जाति तेली नि. गादिया तहसील सुनेल हाल नि. भवानीमण्डी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ती पेश किया गया। सहमति बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस के परिपेक्ष में पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों/रेकार्ड, रामगोपाल का आधार कार्ड (646459829522), परिवार राशनकार्ड (117702300356), ग्राम गादिया का नामा.सं. 422 दिनांक 21.07.2008 एवं तहसीलदार सुनेल की जांच रिपोर्ट क्रमांक 468 दिनांक 29.04.2026 आदि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सुनेल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त किये जाने में सहमत है। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गादिया प०म० गादिया तहसील सुनेल की हाल जमाबन्दी सर्वे सवंत 2074-77 के खाता संख्या 296, 297, 180 में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी/खातेदार के नाम) को शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में निम्नलिखित रूप से अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -




(Handwritten signature)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़वा, जिला झालावाड (राज.)

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम गादिया प0म0 गादिया तहसील सुनेल	180	गोपाल पुत्र नारानीबाई	रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र नारानीबाई
2		296	गोपाल पुत्र नारानीबाई	रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र नारानीबाई
3		297	गोपाल पुत्र नारानीबाई	रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र नारानीबाई

तहसीलदार सुनेल आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना करना सुनिश्चित करें।




 उपखण्ड अधिकारी पिडावा
 जिला जालावाड़ राज0
 पिडावा, जिला जालावाड़ (राज0)